भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 210
सोमवार, 29 नवम्बर, 2021/8 अग्रहायण, 1943 (शक)

भारत की राष्ट्रीय रोजगार नीति

210. श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरेः
श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुलेः
डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हेः
डॉ. सुभाष रामराव भामरेः
श्री कुलदीप राय शर्माः
श्री डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस.:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार भारत की राष्ट्रीय रोजगार नीति तैयार करने के लिए एक समिति गठित करने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस कदम के लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं;

(ख) समिति की संरचना क्या है और इस समिति द्वारा कब तक काम शुरू करने और सरकार को अपनी रिपोर्ट सौपने की संभावना है;

(ग) क्या देश का समग्र रोजगार महामारी-पूर्व के स्तर से कम है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार ने अखिल भारतीय त्रैमासिक स्थापना आधारित रोजगार सर्वेक्षण कराया है और यदि हां, तो उससे प्राप्त निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) महाराष्ट्र तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सहित देश में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) एवं (ख): वर्तमान में ऐसी कोई समिति नहीं है। तथापि, सरकार ने तीन सर्वेक्षणों का अनुमोदन किया है यथा (i) अखिल-भारतीय तैमाही संस्थान आधारित रोजगार सर्वेक्षण (एक्यूईईएस); प्रवासी कामगारों पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण; तथा (iii) घरेलू कामगारों पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण।

इन सर्वेक्षणों के माध्यम से एकत्रित सूचना सरकार को महत्वपूर्ण मुद्दों को समझने तथा साक्ष्य-आधारित राष्ट्रीय रोजगार नीति तैयार करने में समर्थ बनाएगी।

(ग) और (घ): भारत सरकार ने अप्रैल, 2021 में अखिल भारतीय त्रैमासिक संस्थान आधारित रोजगार सर्वेक्षण (एक्यूईईएस) शुरू किया है जिसके दो घटक हैं, त्रैमासिक रोजगार सर्वेक्षण (क्यूईएस) और क्षेत्र ढांचा स्थापना सर्वेक्षण (एएफईएस)।

अप्रैल से जून 2021 की अवधि के लिए तिमाही रोजगार सर्वेक्षण के पहले दौर के परिणाम के अनुसार, अर्थव्यवस्था के नौ चुनिंदा क्षेत्रों में रोजगार में 3.8 करोड़ की वृद्धि हुई है जबकि इन क्षेत्रों में यह छठी आर्थिक जनगणना (2013-14) में सामूहिक रूप से यथा रिपोर्टित कुल 2.37 करोड़ था।

(ङ): सरकार ने देश में रोजगार का सृजन करने के लिए (महाराष्ट्र एवं अंडमान व निकोबार द्वीप समूह सहित) पर्याप्त निवेश वाली विभिन्न परियोजनाओं को प्रोत्साहन देने और प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) तथा दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) जैसी योजनाओं पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करने जैसे विभिन्न कदम उठाए हैं।

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3.0 के अंग के रूप में सामाजिक सुरक्षा लाभों के साथ- साथ नए रोजगार का सृजन करने हेतु नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने तथा कोविड-19 महामारी के दौरान रोजगार की हानि के प्रतिस्थापन हेतु 1 अक्तूबर, 2020 से प्रारंभ की गई थी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही यह योजना नियोक्ताओं पर वित्तीय दबाव को कम करती है एवं उन्हें और अधिक कर्मचारियों को कार्य पर रखने के लिए प्रोत्साहित करती है। इस योजना के तहत लाभार्थियों के पंजीकरण की अंतिम तिथि को 30 जून, 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 कर दिया गया है।

इन पहलों के अतिरिक्त, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी मिशन, जीर्णोद्धार एवं शहरी रूपांतरण हेतु अटल मिशन, सभी के लिए आवास, अवसंरचना विकास तथा औद्योगिक गलियारों तथा उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना जैसे सरकार के फ्लैगशीप कार्यक्रम भी उत्पादक रोजगार के अवसर सृजित करने के प्रति उन्मुख हैं।

*****